



सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
SUSHMA EDUCATIONAL SOCIETY,
Kanpur Nagar

विषय: SUSHMA EDUCATIONAL SOCIETY, Kanpur Nagar द्वारा प्रयोजित संस्थान YASHRAJ COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, Kanpur Nagar को वैशेषिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निवेदन हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्पेटी काउन्सिल आफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आयकी नवीन संस्था प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन के अन्तर्गत पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारलेखनाव की गई संसुचितियों एवं इन संसुचितियों के क्रम में निर्गत शासनकार्य संख्या 28013/19-1099/1279/2019 दिनांक 20.08.2020 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन गठन कार्यसूचक से अनुमोदन की प्रक्रिया में संस्थान को निम्नलिखित विवरण से अनुत्तर स्वीकृत पोषित योजना के अन्तर्गत वैशेषिक सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Pharm	B.Pharm	Shift I	100	-	100	60

उपर्युक्त अस्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बुनियादी, मान्य, अवस्थापना सुविधाएँ/सदस्यत्व हेतु निर्धारित पंजन-पत्र/सदस्यता, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैमिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट मन्डल द्वारा संस्था के निर्देशन में दायीं नई कनिष्ठ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था/प्रबन्धकों का होगा।
- निरीक्षण पत्रक द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सन्तुष्टान के साथ-साथ संस्थान के लेखा-संग्रह आदि भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किये जा सकते हैं।
- बी.फार्म/एन.फार्म/बी.आर.ए./एन.आर.ए. सदस्यत्व संचालित करने वाले संस्थानों को कार्पेटी काउन्सिल आफ इन्जिनियरिंग/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा सदस्यत्व संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संचालित काउन्सिल को सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लेखन द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की वरदा में एवं अन्तर्गत एवं पी.सी.आर./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमत्य प्रदेश समता से अधिक प्रदेश लेने की वरदा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था/प्रबन्धकों का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रदेश/ब्लॉक के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा ब्लॉक निर्धारण समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमत्य धीस ही प्रवेशित छात्रों से लेना। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वाञ्छित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त उल्लेखों में विफल रहने पर सम्बद्धता सार्वभौमिक विरोधाधिकार को क्रम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनन्दानुभव आदेशन के समय नवीं गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी मुद्दक न जमा करने तथा सौदा की संस्था में किसी भी प्रकार की कृत्रिम शासन/विश्वविद्यालय के शासन में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

8. विश्वविद्यालय में प्रदर्शित 2020 प्राथमिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अन्वय-8 (सम्बद्धता) में प्रतिरक्षित प्राथमिक का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्वय की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

9. संस्थान 10 सितम्बर, 2020 से पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा दत्ते अनुमत्य प्रवेश श्रमता के सम्बन्धित संस्था के मानकों के अनुसंधान अर्थात् संस्था में निर्धारित अर्थात् धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की न्यूनता समाप्त करने से सम्बन्धित समस्त अधिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा एवं इस आशय का मोटोटाइप संस्था पर देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अर्थात् संस्था में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वागत स्वागतपत्र में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अन्वयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

8. प्राचार्य/निदेशक एवं सैक्रेटरी की नियुक्ति अधिलेख भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एड्युकेट प्रोसेस ईम्यूनुक 2020-21 के दिवस संख्या 1.34 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत हो। (सही संस्थानों हेतु)

8. राज प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पर रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाए जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम 8.15)

10. राज प्रारम्भ होने के परन्तु संस्था ने कार्यवाही शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (पंद्रह दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करे। (विनियम 8.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्वय की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम 8.25बी)

12. राज एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पत्र, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 8.13)

13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पत्र, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 8.16)

14. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पत्र पर अवश्य दलना की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्वय संस्था के विरुद्ध कसौचित् कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

15. अधिलेख भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मन्थना समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुसंधान स्वतः निरस्त हो जायेगा।

16. फार्मली तथा अर्जिस्ट्रेशन की विद्यार्थी के शिक्षण प्रक्रियामें से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विद्यार्थी के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवस्थापन नियामक संगठन फार्मली काउंसिल अफ इन्डिया/अर्जिस्ट्रेशन काउंसिल अफ इन्डिया (एया एनए) से सत्र 2020-21 हेतु मन्थना का अनुसंधान प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्यविधि में पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मन्थना आदेश अपात्र रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अन्वयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मन्थना प्राप्त न होने की दशा में फार्मली तथा आहूत के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न ही काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सही रिक्त सीट का प्रत्येकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. संस्थान का शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी समय शैक्षिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उसके अधिलेख निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सम्बन्धित कर्मियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

18. जिन संस्थानों की अन्तर्देशीय एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में हासन अन्वय विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अन्वय प्राप्त की जाती है अथवा कोई भी रिपोर्ट जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कालपर्यन्त के अर्थात् होगी।

19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं से प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनुसूत जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के हासनदेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।